

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद**

पत्रांक – AE-II/03/WM-II/Power/Vol-1/18-19/01/21

दिनांक –04.04.2018

**कार्यालय आदेश**

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अनुसार महालेखाकार/विभागाध्यक्ष ने इस कार्यालय के खण्डीय लेखाकार संवर्ग में कार्यरत समस्त वर्ग "ख" अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश (विशेष आकस्मिक अवकाश, अशक्ता अवकाश और अध्ययन अवकाश को छोड़कर) को स्वीकृत करने की अपनी शक्तियों के प्रत्यायोजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। उक्त नियमावली के प्रावधानों एवं किए गए प्रत्यायोजन के उपरान्त कार्यालय के खण्डीय लेखाकार संवर्ग के समस्त वर्ग "ख" अधिकारियों/कर्मचारियों को देय अवकाश अब निम्नवत् स्वीकृत किए जाएंगे :-

(क)

क्रम संख्या	पद	प्रत्यायोजन के पश्चात् अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी	अवकाश स्वीकृत करने की सीमा
1.	वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी, खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड-11	वर्गाधिकारी महालेखाकार	30 दिन तक 30 दिन से अधिक
2.	खण्डीय लेखाकार	वर्गाधिकारी	अवकाश नियमों के अन्तर्गत अनुमत सीमा तक/पूर्ण शक्तियों

(ख) वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी, खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं खण्डीय लेखाधिकारी ग्रेड-11 के 30 दिन से अधिक के अवकाश प्रार्थना पत्र संबंधित वर्गाधिकारी (उ0म0ले0/डी0ए0सी0सी0) के माध्यम से महालेखाकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।


उप महालेखाकार/डी0ए0सी0सी0

पत्रांक – AE-II/03/WM-II/Power/Vol-1/18-19/01/22-26

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1.सचिव, महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2.समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3.निर्माण समन्वय के समस्त शाखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. लेखाधिकारी/आई0टी0सी0जी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सूचना पट्ट।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी/निर्माण विविध-11